

**अनुलग्नक-1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से निकासी (Opt Out) हेतु आवेदन पत्र**

बैंक का नाम \_\_\_\_\_

**“Opt Out” form for Revamped PMFBY/ RWBCIS**

दिनांक: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

बैंक शाखा का नाम: \_\_\_\_\_ शाखा कोड सं. \_\_\_\_\_

आवेदनकर्ता का विवरण

1. केसीसी खाताधारक का नाम: \_\_\_\_\_

2. केसीसी ऋण खाता संख्या:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. मोबाइल/ दूरभाष सं: \_\_\_\_\_

मुझे पीएमएफबीवाई/ आरडबल्यूबीसीआईएस योजनाओं के प्रावधानों एवं लाभ के विषय में पूर्ण जानकारी है। मैं घोषणा करता हूँ कि केसीसी योजना के तहत अपने ऋण खाते को जारी रखना चाहता हूँ एवं मैं अपनी इच्छा से वर्ष \_\_\_\_\_ से खरीफ/ रबी से पीएमएफबीवाई/ आरडबल्यूबीसीआईएस से निकासी (opt out) कर रहा हूँ। इसलिए मैं उक्त योजना के तहत इनरोल नहीं करने हेतु अनुरोध करता हूँ।

खाताधारक का हस्ताक्षर:

**डिस्क्लेमर:** यदि, किसान योजना के तहत कुछ फसलों के लिए आंशिक ऑप्ट इन करना चाहता है तो कॉमन सर्विस सेंटर, बीमा कंपनियों के एजेंट के माध्यम से पीएमएफबीवाई पोर्टल के ऑनलाइन सुविधा या Android आधारित फसल बीमा एप (Crop Insurance App) जैसे माध्यमों से स्वयं को इनरोल (नामांकन) करना होगा।

**कार्यालय प्रयोग हेतु:** उपरोक्त घोषणा उचित कार्रवाई के लिए दिनांक \_\_\_\_\_ को बैंक दस्तावेजों में दर्ज की गई।

तारीख सहित शाखा प्रमुख के हस्ताक्षर:

**कृषक हेतु पावती पत्र**

**“Opt Out” form for Revamped PMFBY/ RWBCIS**

दिनांक: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

बैंक शाखा का नाम: \_\_\_\_\_ शाखा कोड सं. \_\_\_\_\_

आवेदनकर्ता का विवरण

1. केसीसी खाताधारक का नाम: \_\_\_\_\_

2. केसीसी ऋण खाता संख्या:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. मोबाइल/ दूरभाष सं: \_\_\_\_\_

4. मौसम जिसके लिए ऑप्ट आउट किया जाना है: खरीफ/ रबी (वर्ष): \_\_\_\_\_

मुझे पीएमएफबीवाई/ आरडबल्यूबीसीआईएस योजनाओं के प्रावधानों एवं लाभ के विषय में पूर्ण जानकारी है। मैं घोषणा करता हूँ कि केसीसी योजना के तहत अपने ऋण खाते को जारी रखना चाहता हूँ एवं मैं अपनी इच्छा से वर्ष \_\_\_\_\_ से खरीफ/ रबी से पीएमएफबीवाई/ आरडबल्यूबीसीआईएस से निकासी (opt out) कर रहा हूँ। इसलिए मैं उक्त योजना के तहत इनरोल नहीं करने हेतु अनुरोध करता हूँ।

खाताधारक का हस्ताक्षर:

**डिस्क्लेमर:** यदि, किसान योजना के तहत कुछ फसलों के लिए आंशिक ऑप्ट इन करना चाहता है तो कॉमन सर्विस सेंटर, बीमा कंपनियों के एजेंट के माध्यम से पीएमएफबीवाई पोर्टल के ऑनलाइन सुविधा या Android आधारित फसल बीमा एप (Crop Insurance App) जैसे माध्यमों से स्वयं को इनरोल (नामांकन) करना होगा।

**कार्यालय प्रयोग हेतु:** उपरोक्त घोषणा उचित कार्रवाई के लिए दिनांक \_\_\_\_\_ को बैंक दस्तावेजों में दर्ज की गई।

तारीख सहित शाखा प्रमुख के हस्ताक्षर:

**अनुलग्नक-II: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कवरेज (Opt In) हेतु आवेदन पत्र**

बैंक का नाम \_\_\_\_\_

“Opt In” form for Revamped PMFBY/ RWBCIS

दिनांक: \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ \_\_\_\_

बैंक शाखा का नाम: \_\_\_\_\_ शाखा कोड सं. \_\_\_\_\_

आवेदक का विवरण

1. अद्यतित आधार के अनुसार खाताधारक का नाम: \_\_\_\_\_
2. बैंक खाता पासबुक के अनुसार खाता धारक का नाम: \_\_\_\_\_
3. केसीसी ऋण खाता संख्या: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. आधार नंबर: \_\_\_\_\_
5. मोबाइल/ दूरभाष संख्या: \_\_\_\_\_

मैं एतद घोषणा करता हूँ कि पीएमएफबीवाई/आरडबल्यूबीसीआईएस के तहत अपने खाते का कवरेज (coverage) खरीफ/ रबी (वर्ष) \_\_\_\_\_ से करवाना चाहता हूँ। इसलिए मैं उक्त योजना के तहत इनरोल करने के लिए अनुरोध करता हूँ।

खाताधारक का हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

कार्यालय प्रयोग हेतु: उपरोक्त घोषणा उचित कार्रवाई के लिए दिनांक \_\_\_\_\_ को बैंक दस्तावेजों में दर्ज की गई।

तारीख सहित शाखा प्रमुख के हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

**कृषक हेतु पावती पत्र**

“Opt In” form for Revamped PMFBY/ RWBCIS

दिनांक: \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ \_\_\_\_

बैंक शाखा का नाम: \_\_\_\_\_ शाखा कोड सं. \_\_\_\_\_

आवेदक का विवरण

1. अद्यतित आधार के अनुसार खाताधारक का नाम: \_\_\_\_\_
2. बैंक खाता पासबुक के अनुसार खाता धारक का नाम: \_\_\_\_\_
3. केसीसी ऋण खाता संख्या: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. आधार नंबर: \_\_\_\_\_
5. मोबाइल/ दूरभाष संख्या: \_\_\_\_\_
6. ऑप्ट इन किए जाने का मौसम: खरीफ/ रबी (वर्ष): \_\_\_\_\_

कार्यालय प्रयोग हेतु: उपरोक्त घोषणा उचित कार्रवाई के लिए दिनांक \_\_\_\_\_ को बैंक दस्तावेजों में दर्ज की गई।

तारीख सहित शाखा प्रमुख के हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_